16

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

म अपील संख्या 54/2022
बूल पुत्र श्री अलादीन, जाति व्यापारी (मुसलमान) निवासी शीतला बगीची, वार्ड नं0 11, मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 07.03.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.02.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 54/2022 पर दिनांक 08.02.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/361–62 दिनांक 09.02.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने पत्रांक सू0अ0/2022/62 दिनांक 17.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील उनवान मकबूल पुत्र श्री अलादीन बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा अपील संख्या 54/2022 के कम मे निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14.12.2021 के संदर्भ मे प्रार्थी को सूचना कार्यालय के पत्रांक 06 दिनांक 11.01.2022 को प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/2022/62 दिनांक 17.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील उनवान मकबूल पुत्र श्री अलादीन बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा अपील संख्या 54/2022 के कम मे निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14.12.2021 के संदर्भ मे प्रार्थी को सूचना कार्यालय के पत्रांक 06 दिनांक 11.01.2022 को प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:10:59 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू